

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक- 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह मौजूद रही।



## 'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गाँवों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090**, महिला हेल्पलाइन **181**, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076**, पुलिस आपातकालीन सेवा **112**, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098**, स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरूक



**पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने व विषम परिस्थितियों में अराजकतत्वों से निपटने के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया।**

आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद महोबा में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के नेतृत्व में आज दिनांक- 25.10.2024 को शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया तथा त्यौहारों के दृष्टिगत बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है।

इस दौरान पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। बलवा ड्रिल के अभ्यास के दौरान 10 पुलिस पार्टियों बनायी गयी, पुलिसकर्मियों में से ही बलवाई बने लोगों (भीड़) को तितर-बितर करने हेतु बलवा ड्रिल के अंतर्गत कार्यवाही कराई गयी तथा पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, टीयर स्मोक सेल, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं बलवा ड्रिल का डिमॉस्ट्रेशन कराया गया। बलवा जैसी स्थिति का अनुकरण करते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया।

तत्पश्चात पुलिस अधिकारियों के वाहनों में मौजूद दंगा नियंत्रण व अन्य विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण किया गया जिसमें वाहनों में मौजूद उपकरणों की नियमित साफ-सफाई व समुचित देखरेख व कुशल संचालन के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने बताया कि इस ड्रिल का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है और संवेदनशील मौकों पर इसका लगातार अभ्यास किया जाता है। इसमें पुलिस को दंगों व दंगाइयों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर ड्रिल कराई गई है। इस अभ्यास के माध्यम से पुलिसकर्मियों को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी(वि./रा.) रामप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, समस्त थाना प्रभारी, समस्त शाखा प्रभारी सहित जनपद के थानों, शाखाओं एवं पुलिस लाइन में नियुक्त अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



## शुक्रवार परेड निरीक्षण



## बलवा ड्रिल अभ्यास/ब्रीफिंग



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा की चौकी भटीपुरा का औचक निरीक्षण किया गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक- 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र की चौकी भटीपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है।

औचक निरीक्षण के दौरान चौकी में साफ सफाई का स्तर उच्चकोटि का न पाये जाने पर आपत्ति प्रकट की गयी साथ ही चौकी परिसर में खड़े माल मुकदमाती वाहनों में सम्बन्धित मुकदमें का स्पष्ट अंकन न होने के साथ-साथ उनका रखरखाव बेतरतीब पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी परिसर में उचित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व वाहनों का रखरखाव सुव्यवस्थित ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित चौकी में तैनात 30नि0 इम्तियाज अहमद व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।



**अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-**

आज दिनांक- 25.10.2024 को जनपद महोबा के रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में **SJPU & AHTU** की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी **SOP**, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त अभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा, शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग जनपद महोबा, जी0आर0पी0, जिला अभियोजन कार्यालय, महिला थाना / एस0 जे0 पी0यू0 प्रभारी.निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के साथ-साथ सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।



## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 24.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्यामजी यादव मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास कि सूचना पर कहरा सिरसी तिराहा बहद ग्राम कहरा के पास से एक नफर वारण्टी अभियुक्त सोभनाथ उर्फ सोनू बसोर पुत्र शिवबचन बसोर उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बाद बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सोभनाथ उर्फ सोनू बसोर उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 160/2024 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

सोभनाथ उर्फ सोनू बसोर पुत्र शिवबचन बसोर उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध।

## गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्यामजी यादव
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव
3. हे0का0 बृजेन्द्र भदौरिया
4. का0 अमित कुमार
5. का0 हरनाम



## थाना कबरई की पुलिस टीम ने

### एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 25.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वारंटी अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र मलखान कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 सुभाष नगर थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 2168/18 धारा 143/147/149/186/188/341/353 भादवि व 7सीएलए एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा के क्रम में अभियुक्त को थानाक्षेत्र के छंगा तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायधीश के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. हे0कां0 रामकरन सिंह

## गिरफ्तार अभियुक्त-

राघवेन्द्र पुत्र मलखान कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 सुभाष नगर थाना कबरई जनपद महोबा।



## थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 24.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई नागेन्द्र कुमार नागर गठित की गई उ0नि0 अनुज कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र जयदीप कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी पांच पहाडी राजीव नगर थाना कबरई जनपद महोबा को महेवा रोड़ बड़ी नहर से हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 315/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -


1. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
2. हे0कां0 रामकरन सिंह
3. हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद

### गिरफ्तार अभियुक्त-

महेवा रोड़ बड़ी नहर से करीब 100 मीटर पहले बहद करबा व थाना कबरई जनपद महोबा।

### बरामद सम्पत्ति:-

अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।



## थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 02 किलो 70 ग्राम अवैध

### गांजे के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध गांजा बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महोबा झांसी हाइवे मार्ग टिकरिया मोड़ बहद ग्राम महोबकंठ के पास से अभियुक्त लक्ष्मी चन्द्र सेन पुत्र रामस्वरूप सेन निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जिला हमीरपुर को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 02 किलो 70 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज की बरामदगी करते हुये गिरफ्तार किया गया। अवैध गाँजा बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 8/20 **NDPS ACT** का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

लक्ष्मी चन्द्र सेन पुत्र रामस्वरूप सेन उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कैथा थाना राठ जिला हमीरपुर

### बरामदगी:-

अभियुक्त के कब्जे से सफेद रंग के कपड़े के बण्डल में 2 **KG** 70 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना।

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी
2. हे0कां0 शत्रुघन सिंह
3. का0 अजय कोरी
4. कां0 अरुण यादव थाना महोबकंठ जनपद महोबा

